



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियम और नियंत्रण) नियमावली 2005 के नियम-04 के अन्तर्गत उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत (स्थानीय नगर निगम को अहस्तान्तरित योजनाओं में) पार्क, खेल का मैदान तथा खुली जगह के सम्बंध में परिषद द्वारा किये गये नियोजन/महायोजना के अनुसार विवरण तैयार करते हुए उक्त नियमावली -2005 के निर्धारित प्रारूप पर प्रदेश में परिषद की उक्त सम्बंधित योजनाओं को योजनावार सूचीबद्ध किया गया है, जो कि परिषद की बेबसाइट www.upavp.com पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

सूचीबद्ध किये गये पार्क, खेल का मैदान तथा खुली जगह की सूची के सम्बंध में उक्त नियमावली के नियम-05 के अन्तर्गत समस्त नागरिकों से आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में आमंत्रित किये जाते हैं, जो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 03 माह की अवधि के भीतर लिखित रूप से आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।


आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद